पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि, अक्टूबर में 1,939 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति

गत वर्ष के मुकाबले जीएसटी में 1,323 करोड़, स्टाम्प एवं निबंधन में 427 करोड़ तथा वैट में 303 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अग्निवीरों की सेवा अवधि दो वर्ष बढ़ाने के निर्णय का किया स्वागत

लखनऊ : 05 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के अक्टूबर माह में प्रदेश सरकार को प्रमुख कर–करेत्तर राजस्व मदों से कुल 19,686 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष इसी माह में 17,747 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अक्टूबर 2025 की तुलना में अक्टूबर 2026 में राजस्व संग्रह में 1,939 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने राजस्व प्राप्तियों की जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2026 में जीएसटी के अंतर्गत 8,154 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष यह 6,831 करोड़ रुपये था। इस प्रकार जीएसटी संग्रह में 1,323 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वैट से 2,705 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जो गत वर्ष के 2,402 करोड़ रुपये के मुकाबले 303 करोड़ रुपये अधिक है।

वित्त मंत्री ने बताया कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 2,714 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष 2,287 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार 427 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व प्राप्ति 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 356 करोड़ रुपये हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 56 करोड़ रुपये अधिक है।

उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग में अक्टूबर 2026 के दौरान 4,495 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष 4,508 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार परिवहन विभाग में गत वर्ष के 1,419 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 1,262 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो वर्ष की वृद्धि संबंधी निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की प्रारंभिक नियुक्ति चार वर्ष के लिए की गई थी, जिसे अब दो वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को नियमित सशस्त्र बलों में समायोजित किए जाने तथा शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवा अवधि दो वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय स्वागतयोग्य है।

श्री खन्ना ने कहा कि इस निर्णय के लिए वह केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का हृदय से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा देश की सेवा में समर्पित युवाओं का मनोबल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सम्पर्क सूत्र– जयेन्द्र सिंह

राघवेन्द्र / 02:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in